

राजस्थान सरकार  
निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, राजस्थान, जयपुर  
क्रमांक:एफ.142 पार्ट 5/स्वा.का.पु./2019/

दिनांक :-

आदेश

वित्त विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ.15(1)/एफडी/रूल्स/2017/ दिनांक 30.10.2017 एवं 09.12.2017 में उपलब्ध प्रावधानुसार निम्नलिखित स्वा0 कार्यकर्ता (पुरूष) को उनके नामों के सम्मुखानुसार एतद द्वारा ए.सी.पी स्वीकृत की जाती है :-

क्र. सं.	नाम कर्मचारी व पदस्थापन जिला	संवर्ग में नियुक्ति दि.	पूर्ण सेवावधि	एसीपी स्वीकृति दिनांक	पै-मेट्रिक्स लेवल
1	श्री शिवचरन, भरतपुर	01.12.90	27 वर्ष	01.12.17	एल-11
2	श्रीमति बृजवती, भरतपुर	07.08.91	27 वर्ष	07.08.18	एल-11

स्वीकृत ए.सी.पी. में वेतन निर्धारण संबंधित प्रशासनिक अधिकारी द्वारा पृथक से किया जायेगा।

u

(मुकुल शर्मा)

अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं

राज जयपुर

दिनांक - 22/4/19

क्रमांक:एफ.142 पार्ट 5/स्वा.का.पु./2019/444

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें जोन, भरतपुर।
2. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, भरतपुर।
3. प्रभारी सर्वर रूम, कमरा नं. 302, मुख्यालय, को भेजकर लेख है कि उक्त आदेश को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करे।
4. संबंधित कर्मचारी द्वारा उनके प्रशासनिक अधिकारी।
5. आदेश पत्रावली।

u

अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं

राज जयपुर